पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 2016 ई0 (फाल्गुन 29, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–12

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	149–183	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	51–55	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

16 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 195/XIX–1/16–41/2014–श्री राज्यपाल महोदय, भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली 2016

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) सेवा नियमावली 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा) सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "क" एवं "ख" के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी से जिला पूर्ति अधिकारी, उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त, अपर आयुक्त के सम्बन्ध में राज्यपाल से है और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के सम्बन्ध में आयुक्त अभिप्रेत है।

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।

(ग) " आयोग" से लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(घ) आयुक्त से आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(ड) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है।

(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

(छ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं।

(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(झ) "सेवा" से उत्तराखण्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (आपूर्ति शाखा)सेवा से है।

(ञ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो।

(त) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो – संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या परिशिष्ट ''क'' में दी गई है।

परन्तु :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन – भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी:–

(1) क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी–	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे खाद्य निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(2) जिला पूर्ति अधिकारी–	(एक) 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष की प्रथम दिवस को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी की हो, आयोग के परामर्श से वरिष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।
(3) उपायुक्त खाद्य–	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी जिला पूर्ति अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष की, प्रथम तिथि को इस रूप में, न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(4) संयुक्त आयुक्त खाद्य–	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे, उपायुक्त खाद्य, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 03 वर्ष की सेवा सहित कुल 13 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(5) अपर आयुक्त खाद्य–	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे, संयुक्त आयुक्त खाद्य, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। एक पद आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 संवर्ग का होगा।

आरक्षण 6– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार– अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केन्या, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो–– परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये भी महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– जिस अभ्यर्थी के मामलें मे पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

8. सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए:–

पद– जिला पूर्ति अधिकारी **अर्हता–** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

अधिमानी अर्हता

9. अभ्यर्थी जिसने–

(1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुये भी सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, भर्ती के वर्ष के 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसे श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामलें में जिन्हे सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध में सम्बद्ध सिद्वदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे–

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की स्वास्थ्य परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामलें में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है :–

परन्तु, पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पाँच – भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15 (क) प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र मंगायेगा। आवेदन पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(ख) आयोग द्वारा जारी प्रवेश–पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा।

(ग) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

(घ) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिये उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया।

16 (1) जिला पूर्ति अधिकारी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, "समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 2003" के अनुसार की जायेगी।

लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16 (2) पदोन्नति के प्रायोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) अपर आयुक्त खाद्य (आपूर्ति) के पद पर भर्ती उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 2002 में उल्लिखित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

(ख) संयुक्त आयुक्त तथा उपायुक्त खाद्य के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसका गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

(एक) प्रमुख सचिव / सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष

(दो) प्रमुख सचिव / सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न ना हो – सदस्य

(तीन) आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड – सदस्य

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की अलग–अलग पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा, और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो आवश्यक समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(घ) चयन समिति उपनियम (v) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।

(ङ) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची–17 यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15(2) एवं 15(3) यथास्थिति के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियॉ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो और नियम 17 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न की गयी हों।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है, किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी और जहाँ पद आयेगा के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहाँ उत्तराखण्ड, लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिससे ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

स्थायीकरण

20. (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि :–

(क) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक बताया जाय।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

21. किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं :–

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा :

(1) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(3) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 20 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे :

परन्तु उपबन्ध यह है कि :–

(एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती है वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में, जिनमे कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेगीं।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती है और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाती है, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गई। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम मे अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

(तीन) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गई है।

भाग सात– वेतन इत्यादि

वेतनमान 22. (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत वेतनमान परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है :–

परिवीक्षा के दौरान वेतन 23. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु उपबन्ध यह है कि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थपन 24. किसी पद या सेवा या लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन **25.** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति जो राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्य या लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलीकरण 26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबंधित करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट– 'क'
(नियम–4(2))

क्र0सं0	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	अपर आयुक्त (खाद्य)	2	–	2 (एक पद आई0ए0एस / पी0सी0एस0 संवर्ग का होगा।)
2	संयुक्त आयुक्त (खाद्य)	2	–	2
3	उपायुक्त (खाद्य)	3	–	3
4	जिला पूर्ति अधिकारी	13	–	13
5	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	61	–	61

परिशिष्ट– 'ख'
(नियम–4(2))

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान		
		वेतन बैण्ड का नाम	वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)
01	अपर आयुक्त (खा0)	वेतन बे–4	37400–67000	8700
02	संयुक्त आयुक्त (खा0)	वेतन बे–3	15600–39100	7600
03	उपायुक्त (खा0)	वेतन बे–3	15600–39100	6600
04	जिला पूर्ति अधिकारी	वेतन बे–3	15600–39100	5400
05	क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी	वेतन बे–2	9300–34800	4600

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of the India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 195/XIX-1/16-41/2014**, dated February 16, 2016 for general information :

No. 195/XIX-1/16-41/2014

Dated Dehradun, February 16, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the provison to Article 309 of the Constitution of India and in suppression of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased, to make the following rules regulating recruitment and condition of Service of persons appointed to the Uttarakhand Food and Civil Supply Department (Supply Branch) Service recruitment rules:-

THE UTTARAKHAND FOOD AND CIVIL SUPPLY DEPARTMENT (SUPPLY BRANCH) GROUP 'A' & 'B' SERVICE RULE, 2016

PART I
GENERAL

Short title and commencement:- 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Food and Civil Supply Department (Supply Branch) Service rules, 2016.

(2) It shall come into force at once.

Status of Service: - 2. The Uttarakhand Food and Civil Supply Department (Supply Branch) Service is State service, which comprises Group 'A' & B' posts.

Definitions:- 3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or content –

(a) "Appointing Authority" means Governor for District Supply officer, Deputy Commissioner, Joint Commissioner, Additional Commissioner. Appointing Authority means Food Commissioner for Area Rationing Officer

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitution;

(c) "Commission" means the Public Service Commission of Uttarakhand.

(d) "Commissioner" means the Commissioner Food and Civil Supply Department of Uttarakhand.

(e) "Constitution" means the Constitution of India;

(f) "Government" means the State Government of Uttarakhand;

(g) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(h) "Member of Service" means a person appointed in substantive capacity under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(i) "Service" means the Service of Food and Civil Supply Department (Supply Branch) Uttarakhand;

(j) "Substantive Appointment" means an Appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the rules, and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and

(k) "Year of recruitment" means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II
CADRE

Cadre of Service:- 4. (1) The strength of the service and of each category of post shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) shall be as given in Appendix 'A'. Provided that ;

(1) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without entitling any person to payment or compensation.

(2) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III
RECUIRTMENT

Source of Recruitment 5.

1.	Area Rationing Officer	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst the permanent supply inspectors who have completed 5 years of service from the first day of the year.
2.	District Supply Officer	(1) 50 percent by direct recruitment through the Commission.

		(2) 50 percent by promotion in consultation with the Commission on the basis of seniority among those Area Rationing Officers, who have completed a minimum of 5 years of service from the first day of the year of recruitment.
3.	Deputy Commissioner Food	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst the permanent District Supply Officer who have completed a minimum of 5 years of service from the first day of the year of recruitment.
4.	Joint Commissioner Food	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst the Deputy Commissioner food who have completed 03 years of satisfactory service including a minimum of total 13 years of service from the first day of the year of recruitment.
5	Additional Commissioner Food	By promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst the Joint Commissioner food who have completed 02 years of satisfactory service including a minimum of Total 16 years of service from the first day of the year or recruitment. One Post shall be amongst the Cadre of IAS/PCS.

Reservation 6. Reservations belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV
QUALIFICATIONS

Nationality:- 7. A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before 1st January,1962, with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in Service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note: a candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification:-

8. A candidate for the recruitment to the various post in the service must possess the following qualifications:

POST- District Supply Officer Qualification- Graduate degree from a recognised University.

Preferential Qualification:-

9. A candidate who has-

(1) Served in Territorial Army for a minimum period of two years, or

(2) Obtained a 'B'/C certificate of the National Cadet Corps

Shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age: -

10. A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 42 years on July 1 for the calendar year in which the posts are advertised:

Provided that the upper age-limit in the case of candidate belonging to the Scheduled Casts, Scheduled tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character: - 11. the character of the candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Services. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

Note: Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status:- 12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness:- 13. (a) No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required:-

(b) in the case of Gazetted post or service, to pass an examination by a Medical Board;

(c) in the case of other posts in the Service to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand Book, Volume II Part II;

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V
PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT

Determination of vacancies: - 14. The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, BackWard Classes and other categories to the State of under Rule 6.

Procedure for direct recruitment	15.	(a) Application for permission to appear in the competitive examination shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment. (b) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission. (c) After the results of the written examination has been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and others Categories of the State of Uttarakhand under Rule 6, summon for interview such number of candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination. (d) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority. **Note--** The syllabus and rules for competitive examination prescribed by the Commission from time to time.
Procedure for recruitment by promotion under the purview of Public service Commission	16 (1)	Recruitment by promotion on the post of District supply officer shall be made in accordance with the Uttarakhand Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 (as amended time to time).
Procedure for recruitment by promotion outside the purview of Public service Commission	16(2)	For the purpose of recruitment, there shall be constituted a Selection Committee comprising--

(a) Recruitment by promotion to the post of Additional Commissioner Food (Supplies) (on posts outside the purview of the Public Service Commission as per Rule-2002) by the Departmental Selection Committee, Constituted by Departmental Selection Committee.

(b) Recruitment by promotion to the post of Joint Commissioner & Deputy Commissioner Food on the basis of seniority subject to rejection of unfit shall be made by a Selection committee. There shall be Constituted a Selection Committee Comprises:-

(i) Principal Sec./Sec. Food Dept. Uttarakhand Govt. - Chairman

(ii) An officer not below the rank of Joint Sec. appointed by Principal Sec./Sec. Personnel Dept. Uttarakhand Govt. - Member

(iii) Commissioner, Food & Civil Supplies, Uttarakhand - Member

(c) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.

(d) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records referred to in Sub-rule (c), and if it considers necessary, it may also interview the candidates.

(e) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing authority.

Combined select list

17. If in any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists; in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART VI
APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment:- 18. (1) Subject to the provision of sub-rule (2) the appointing authority shall make the appoinments by taking the name of candidates in the order, in which they stand in the list prepared under rule 16(c) and 16(d) as case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotions, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 17.

(4) The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list prepared under sub-rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointments in such vacancy from amongst persons elibible for appointment under these rules. Such appointments shall not last for a period exceedings one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier, and where the post is within the purview of the Commission, the Uttarakhand Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 2003 shall apply.

Probation:- 19. (1) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of one years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and, in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post,

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Confirmation:- 20. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, if:

(c) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(d) his integrity is certified, and

(e) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation

Seniority: - 21. The seniority of a person shall be determined according to the provisions of "Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002" as amended from time to time. If two or more persons are appointed together, the seniority of persons in any category of post shall be determined by such order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order.

(1) The Seniority inter se of persons appointed directly on the result or any one selection, shall be the same as determined by the Commission or, as the case may be, by Selection Committee:

Provided that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reasons shall be final.

(2) The Seniority inter se of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(3) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, the inter se seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with Rule 20, in such manner that the prescribed percentage is maintained:

Provided that :-

(i) Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, form seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(iii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies quota.

PART VII
PAY ETC.

Scale of Pay:- 22. (1) The scales of pay admissible to person shall be as such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as appendix 'B'.

Pay during probation:- 23. (1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, passed the departmental examination and undergone successfully the training, **if any prescribed** and the second increment after two years of service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant Funadamental Rules applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII
OTHER PROVISIONS

Canvassing: - 24. No recommendations, either written or oral other than those required under these rules, will be taken into consideration. Any attempt on the part of candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters:- 25. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of Service:- 26 Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Addition of New Regulation: - 27. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes of citizens and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

APPENDIX --- 'A'
[Rule 4 (2)]

S.No.	**Name of Post**	**Number of Posts**		
		Permanent	**Temporary**	**Total**
1	Additional Commissioner (Food)	2	-	2 (one post shall be from IAS/PCS cadre)
2	Joint Commissioner (Food)	2	-	2
3	Deputy Commissioner (Food)	3	-	3
4	District Supply Officer	13	-	13
5	Area Rationing Officer	61	-	61

APPENDIX --- 'B'
[Rule 4 (2)]

S.No.	Name of Post	Scale of Pay		
		Name of Pay Band	Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)
1	Additional Commissioner (Food)	Pay Band - 4	37400 - 67000	8700
2	Joint Commissioner (Food)	Pay Band - 3	15600 - 39100	7600
3	Deputy Commissioner (Food)	Pay Band - 3	15600 - 39100	6600
4	District Supply Officer	Pay Band - 3	15600 - 39100	5400
5	Area Rationing Officer	Pay Band - 2	9300 - 34800	4600

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

06 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 144/XVII–3/2016–07/(54)/2015–एतद्द्वारा, धामावाला, देहरादून स्थित वक्फ संख्या–19 आदि की देख–रेख हेतु उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या–333, दिनांक 13–08–2014 द्वारा श्री कमर सिद्दीकी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय प्रबन्धन समिति के गठन से पूर्व वक्फ अधिनियम, 1995 (यथा संशोधित वक्फ अधिनियम, 2013) की धारा–32(2)(g) का अनुपालन न करने के कारण उक्त समिति को भंग करते हुए वक्फ अधिनियम की धारा–65(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मौ0ओबेदुल्ला अंसारी, अनुसचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को अपने कार्यों एवं दायित्वों के साथ–साथ अतिरिक्त रूप से अग्रिम आदेशों तक उक्त वक्फ संख्या–19 की नियमानुसार देख–रेख हेतु प्रशासक नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री अंसारी को इस अतिरिक्त कार्य के लिए पृथक से कोई वेतन/भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1

अधिसूचना/विविध

16 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 160/VI/2016–01(07)/2013(418)–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2014 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्–

"उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2016"

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2016" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 के उप नियम (1)(ड) एवं (1)(ढ)(I) में संशोधन

2. उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली, 2014 जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है में स्तम्भ–1 में दिये गये नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम ; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
2.(1)ड "अनाचार" के अन्तर्गत छल; अयथार्थ प्रस्तुतीकरण, पर्यटक सुविधाओं में बाधा डालना; नियत किराये से अधिक किराया या पारिश्रमिक प्रभारित करना, किराए की दरें प्रदर्शित न करना, कैशमैमों/रसीद न देना, अनुबंध के अनुसार अथवा वचनबद्ध सुविधाएं/सेवायें प्रदान न करना, निम्नस्तरीय उपकरण उपलब्ध कराना और कुशल/तकनीकी कार्मिकों की व्यवस्था न करना, आदि	2.(1)ड "अनाचार" के अन्तर्गत अयथार्थ प्रस्तुतीकरण, नियत किराये से अधिक किराया या पारिश्रमिक प्रभारित करना, किराए की दरें प्रदर्शित न करना, कैशमैमो/रसीद न देना, अनुबंध के अनुसार अथवा वचनबद्ध सुविधाएं/सेवायें प्रदान न करना, निम्नस्तरीय उपकरण उपलब्ध कराना और कुशल/तकनीकी कार्मिकों की व्यवस्था न करना, आदि

2.(1)(ढ) (I) आवासीय संबंधी इकाई यथा :– होटल, मोटल/मार्गीय सुविधा, रिजॉर्ट /हैल्थ–स्पा रिजॉर्ट, टाइमशेयर अपार्टमैन्ट, मोटर कारवां, अतिथि/ यात्री विश्राम गृह, टैन्ट कालोनी/ नेचर कैम्प, रिवर/लेक क्रूज/हाउस बोट्स, पेइंग गेस्ट हाउस/बेड एण्ड ब्रेकफास्ट/होमस्टे, धर्मशाला, आश्रम, आदि।	**2.(ढ) (I) आवासीय संबंधी इकाई यथा :–** होटल, मोटल/मार्गीय सुविधा, रिजॉर्ट/ हैल्थ–स्पा रिजॉर्ट, टाइमशेयर अपार्टमैन्ट, मोटर कारवां, अतिथि/यात्री विश्राम गृह, टैन्ट कालोनी/ नेचर कैम्प, रिवर/लेक क्रूज/हाउस बोट्स, पेइंग गेस्ट हाउस/ धर्मशाला, आश्रम, आदि।

नियम 4 के उप नियम (5) (6) (7) (8) (9) में संशोधन एवं उप नियम (10) एवं (11) का जोड़ा जाना

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये वर्तमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा एवं उप नियम 9 के बाद उप नियम 10 एवं 11 जोड़ दिया जायेगा ; अर्थात् –

स्तम्भ–1 **वर्तमान उप नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम**
4.(5) इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व से स्थापित इकाई के स्वामी/प्रबन्धक को इन नियमो के लागू होने के नब्बे दिन के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।	**4.(5)** इस नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व से स्थापित इकाई के स्वामी/प्रबन्धक को इन नियमो के लागू होने के 180 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
4.(6) आवेदक के पास पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय हेतु एक सुसज्जित कार्यालय होना अनिवार्य होगा, जिसमें पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था, टेलीफोन, फैक्स, कम्प्यूटर, इन्टरनेट सुविधा व जनसुविधायें आदि विद्यमान हों।	**4.(6)** आवेदक के पास पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय हेतु एक सुसज्जित कार्यालय होना अनिवार्य होगा, जिसमें पर्यटकों के बैठने की व्यवस्था, टेलीफोन व जनसुविधायें आदि विद्यमान हों, किन्तु होम स्टे योजना को छोड़कर।
4.(7) आवेदक के पास संबंधित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण होना अनिवार्य होगा। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास संबंधित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण उपलब्ध हैं।	**4.(7)** साहसिक पर्यटन में कार्य करने के इच्छुक आवेदक के पास वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण होना अनिवार्य होगा। ऐसे आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास साहसिक पर्यटन के संचालन हेतु वांछित तकनीकी उपकरण, सुरक्षा एवं बचाव संबंधी उपकरण उपलब्ध हैं।
4.(8) प्रत्येक आवेदक को संबंधित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी /कुशल कार्मिकों के कार्यरत होने की सूची/बायोडाटा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।	**4.(8)** प्रत्येक आवेदक को संबंधित पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के संचालन हेतु वांछित तकनीकी/कुशल कार्मिकों के कार्यरत होने की सूची आवेंदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

4.(9) यदि पर्यटन इकाई को संचालित करने वाला स्वामी/प्रबन्धक पर्यटन इकाई में कोई परिवर्तन, विस्तार या परिवर्धन करता है, तो उसे ऐसे परिवर्तन, विस्तार या परिवर्धन की सूचना विहित प्राधिकारी को साठ दिन के भीतर देनी अनिवार्य होगी।	4.(9)यदि पर्यटन इकाई को संचालित करने वाला स्वामी/प्रबन्धक पर्यटन इकाई में कोई विस्तार करता है, तो उसे ऐसे विस्तार की सूचना विहित प्राधिकारी को साठ दिन के भीतर देनी अनिवार्य होगी।
4.(10) पर्यटन इकाई के स्वामी/प्रबन्धक द्वारा पंजीकृत पर्यटन इकाई को बंद करने व पुनः खोलने की सूचना से विहित प्राधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।	
4.(11) तीन सितारा एवं उनसे उच्च प्रास्थिति के होटल /रिजॉर्ट आदि के पंजीकरण हेतु योग विंग की स्थापना तथा उसमें राज्य के योग प्रशिक्षितों को सेवायोजित किया जाना अनिवार्य होगा।	

नियम 5 के उप नियम (2) का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये वर्तमान उपनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा ; अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
5.(2) विहित प्राधिकारी द्वारा जब तक किसी आवेदक को पंजीकरण से इन्कार नहीं करता, उसे नियमानुसार पांच वर्ष की अवधि हेतु पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा, जिसका पांच वर्ष के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर पुनः नवीनीकरण किया जायेगा।	5.(2) विहित प्राधिकारी द्वारा जब तक किसी आवेदक को पंजीकरण से इन्कार नहीं करता, उसे पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

नियम 6 का विलोपन

5. मूल नियमावली के नियम 6 को विलोपित कर दिया जायेगा।

नियम 8 के उप नियम (1) (घ) एवं (छ) का संशोधन

6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान उप नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा; अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
8.(1)घ यदि पर्यटन इकाई का परिसर विहित मानकों के अनुरूप नहीं हो;	8.(1)घ यदि पर्यटन इकाई का परिसर विहित मानकों (भौगोलिक स्थिति के अनुसार) के अनुरूप न हो;
8.(1)छ यदि पर्यटन इकाई ऑपरेटर सबूत पेश करने में विफल हो जाता है कि पर्यटन इकाई की संरचना, प्रचलित नियमों के उपबन्धों के अधीन या प्रवृत किसी अन्य स्थानीय विधि के अधीन बनाई गई भवन बनाने सम्बन्धी उप–विधियों के अनुसार बनाई गई हो; और	8.(1)छ पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा नियमानुसार भवन निर्माण सम्बन्धी उपबन्धों/नियमों/उप–विधियों के अनुपालन का स्वःघोषणा का शपथ–पत्र उपलब्ध न कराये जाने की दशा में।

नियम 9 के उप नियम (1) (छ) का विलोपन

7. मूल नियमावली के नियम 9 के उप नियम (छ) को विलोपित कर दिया जायेगा।

नियम 10 के उप नियम (1) एवं (2) का संशोधन

8\. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात् –

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
10.(1) इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन/क्रियान्वयन न होने की दशा में विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी उस पर्यटन इकाई के आपरेटर की सहमति से उसके परिसर में निरीक्षण हेतु प्रवेश कर सकेगा और समस्त अभिलेखों, रजिस्टरों और अन्य कैश/बिल बुकों का निरीक्षण कर सकेगा।	10.(1) इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन/क्रियान्वयन न होने की दशा में विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी उस पर्यटन इकाई के आपरेटर की सहमति से उसके परिसर में निरीक्षण हेतु प्रवेश कर सकेगा और रजिस्टरों व बिल बुकों का निरीक्षण कर सकेगा।
10.(2) पर्यटन इकाई आपरेटर द्वारा किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन/क्रियान्वयन न होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी को पंजीकरण स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।	10.(2) पर्यटन इकाई आपरेटर द्वारा किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन/क्रियान्वयन न होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी को पंजीकरण स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा। किंतु अंतिम निर्णय लेने से पूर्व दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया जायेगा।

नियम 11 के उप नियम (2) (4) (9) का संशोधन एवं उप नियम 12 का जोड़ा जाना

9\. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात् –

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
11.(2) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की नियत दरें और सेवा के प्रभार आदि को जिन्हें पर्यटकों/ग्राहकों से प्राप्त किया जाये कि सूचना विहित प्राधिकारी को सूचित करनी होगी तथा इसकी ब्रोशर, पुस्तिका आदि भी प्रकाशित करनी होगी। यदि वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन किया जाये, तो उसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर विहित प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा स्वागत पटल/कार्यालय कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी।	11.(2) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की नियत दरें और सेवा के प्रभार आदि को जिन्हें पर्यटकों/ग्राहकों से प्राप्त किया जाये की सूचना विहित प्राधिकारी को सूचित करनी होगी। यदि वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन किया जाये, तो उसकी सूचना एक सप्ताह के अन्दर विहित प्राधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा स्वागत पटल/कार्यालय कक्ष में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
11.(4) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा देशी एवं विदेशी पर्यटकों की सांख्यिकी प्रत्येक माह की 7 तारीख तक विहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराते हुये, उसे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की वेबसाइट पर लिंक प्रदान कर अपलोड करानी होगी।	11.(4) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर द्वारा देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या प्रत्येक माह की 7 तारीख तक विहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराते हुये, उसे उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् की वेबसाइट पर लिंक प्रदान कर अपलोड करानी होगी।

11.(9) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर किसी दुर्घटना/अप्रिय घटना घटने की दशा में तुरन्त त्वरित संचार के माध्यम से स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस स्टेशन एवं पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करेगा।	11.(9) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर किसी दुर्घटना/अप्रिय घटना घटने की दशा में तुरन्त त्वरित संचार के माध्यम से स्थानीय जिला प्रशासन/पुलिस स्टेशन को सूचित करेगा।

11(12) प्रत्येक पर्यटन इकाई ऑपरेटर को सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण लगाने होंगे तथा नियमों का पालन करना होगा।

नियम 24 का संशोधन

10. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात् —

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
24. इस नियमावली के अधीन जब पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द किया जाता है तो प्रमाण–पत्र का धारक व्यक्ति, रद्दकरण पत्र की विहित रीति में, तामील की तारीख से सात दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को इसे वापस करेगा।	24. इस नियमावली के अधीन जब पंजीकरण प्रमाण–पत्र रद्द किया जाता है तो प्रमाण–पत्र का धारक व्यक्ति, रद्दकरण पत्र की विहित रीति में, तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को इसे वापस करेगा।

नियम 25 का संशोधन

11. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात् —

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
25. इस नियमावली के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र यदि गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो विहित प्राधिकारी, ऐसे प्रमाण–पत्र के धारक व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर आवेदन शुल्क जमा करते हुये, डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करेगा।	25. इस नियमावली के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र यदि गुम, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है, तो विहित प्राधिकारी, ऐसे प्रमाण–पत्र के धारक व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर रू0 200/– आवेदन शुल्क जमा करते हुये, डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करेगा। जिसे समय–समय पर शासन के आदेशों द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

नियम 28 के उप नियम (2) में खण्ड (ङ) का जोड़ा जाना

12. मूल नियमावली में नियम 28 के उप नियम (2) के खण्ड (ढ) के पश्चात् खण्ड (ङ) को निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् —

28.(2)(ङ) नियमावली में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु परिषद द्वारा संबन्धित स्टेक होल्डर यथा सम्भव संगठन की भी राय ली जायेगी।

अनुलग्नक–1, 3 व 4 का संशोधन

13. अनुलग्नक–1, 3 व 4 में वर्णित आवेदन पत्रों में इकाई की भूमि का विवरण नई इकाईयों हेतु पढ़ा जाये।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

सैनिक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

29 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 253/XVII-5/16–13(1)अर्द्ध सै0/2016–श्री राज्यपाल महोदय भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30, सन् 2013) की धारा–11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व साधारण की सूचनां के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात् के ग्राम तड़ीगाँव पट्टी मडसौन तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल की 55वीं वाहिनी पिथौरागढ़ में नॉव घर की स्थापना हेतु 0.038 हे0 निजी भूमि की आवश्यकता है।

चूँकि, धारा–40 के अधीन आत्यायिकता उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम, 2013 की धारा–9 के अनुसार समुचित सरकार में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है। अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा–40 के अधीन कोई अभिनिर्णय/आदेश नहीं दिया गया है तथापि श्री राज्यपाल महोदय उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा–40 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की उक्त अधिनियम की धारा–11 की उपधारा (1) के अनुसार विज्ञप्ति अधिसूचित करते हैं :–

अनुसूची

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	प्लाट संख्या Plot No.	क्षेत्रफल (हे0) Area (Hect.)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़ Pithoragarh	पिथौरागढ़	मडसौन	911	0.008
			912	0.030
		योग	02	0.038

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितवद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of the India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 253/XVII-5/16-13(1)अर्द्ध सै0 /2016**, dated February 29, 2016 for general information :

No. 253/XVII-5/16-13(1)अर्द्ध सै0 /2016

Dated Dehradun, February 29, 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisiton, Rehabilitation Act 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to notify for general information that he is satisfied that the land mentioned in Schedule below is needed for public purpose, namely for stablishment of the new Boat shed for 55th Bn. SSB at vill.Tarigaon, Patti Madsaun, tehsil and District Pithoragarh.

2- Whereas conferring the power under sec 40 of the said Act 2013, keeping in mind the urgency and necessity in accordance with section 9, fixation of rate by study with public opinion is exempted. Now, therefore the Governor, is of the opinion that the matter is urgent in nature, so directed under sub-section (1) of section 11 of the said act, that though no award/order has not been issued, under section 40 however the Governor is hereby pleased to notify with prescribed declaration of the mentioned land in the following schedule in subsection (1) of section 40 of the said public purpose according sub-section (1) of section 11 of the said Act.

–SCHEDULE –

District	Paragana	Mauza	Plot no.	Area (Hac)
1	2	3	4	5
Pithoragarh	Pithoragarh	Madsaun	911	0.008
			912	0.030
		Total	02	0.038

Note-: Area of the land and other details may be inspected by the interested person in the office of collector, Pithoragarh.

अधिसूचना

29 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 254/XVII-5/16-13(2)अर्द्ध सै0/2016-श्री राज्यपाल महोदय भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30, सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्व साधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात् ग्राम आमतड़ी, पट्टी बारमौ, तहसील कनालीछीना, जिला पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल की 55वीं वाहिनी डीडीहाट में सीमा चौकी आमतड़ी की स्थापना हेतु 0.707 हे0 नाप भूमि की आवश्यकता है।

चूँकि, धारा-40 के अधीन आत्यायिकता उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए उक्त अधिनियम, 2013 की धारा-9 के अनुसार समुचित सरकार में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है। अतएव, अब, श्री राज्यपाल की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश देते हैं, कि यद्यपि धारा-40 के अधीन कोई अभिनिर्णय/आदेश नहीं दिया गया है तथापि श्री राज्यपाल महोदय उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा-40 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की उक्त अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अनुसार विज्ञप्ति अधिसूचित करते हैं :-

– अनुसूची–

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	प्लाट संख्या0 Plot no.	क्षेत्रफल(हे0) Area (Hect.)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़ Pithoragarh	कनालीछीना	आमतड़ी	1345	0.004
			1346	0.005
			1347	0.008
			1355	0.011
			1356	0.015
			1357	0.004
			1358	0.004
			1359	0.013
			1360	0.009
			1361	0.006
			1382	0.013
			1383	0.004
			1384	0.008
			1385	0.003
			1386	0.011
			1387	0.014

1	2	3	4	5
			1388	0.006
			1389	0.010
			1390	0.004
			1391	0.009
			1392	0.005
			1393	0.009
			1394	0.006
			1395	0.005
			1402	0.019
			1403	0.015
			1404	0.023
			1405	0.023
			1406	0.001
			1407	0.023
			1408	0.011
			1409	0.024
			1410	0.006
			1411	0.008
			1412	0.006
			1413	0.008
			1414	0.006
			1415	0.006
			1416	0.005
			1417	0.039
			1418	0.029
			1432	0.035
			1433	0.009
			1434	0.008
			1435	0.014
			1436	0.016
			1437	0.019
			1438	0.018

1	2	3	4	5
			1439	0.009
			1440	0.028
			1441	0.020
			1442	0.019
			1443	0.008
			1444	0.013
			1445	0.004
			1446	0.011
			1447	0.010
			1448	0.004
			1449	0.004
			1450	0.011
			1451	0.008
		सम्पूर्ण योग/ **Grand Total**	**61**	**0.707**

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण क्लेक्टर पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितवद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of the India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 254/XVII-5/16-13(2)अर्द्ध सै0 /2016**, dated February 29, 2016 for general information :

No. 254/XVII-5/16-13(2)अर्द्ध सै0 /2016

Dated Dehradun, February 29, 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisiton, Rehabilitation Act 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to notify for general information that he is satisfied that the land mentioned in Schedule below is needed for public purpose, namely for stablishment of new Border out post of 55th Bn. SSB at vill-Amtari, Patti Barmo, tehsil Kalanichhina, District Pithoragarh.

2- Whereas conferring the power under sec 40 of the said Act 2013, keeping in mind the urgency and necessity in accordance with section 9, fixation of rate by study with public opinion is exempted. Now, therefore the Governor, is of the opinion that the matter is urgent in nature, so directed under sub-section (1) of section 11 of the said act, that though no award/order has not been issued, under section 40 however the Governor is hereby pleased to notify with prescribed declaration of the mentioned land in the following schedule in subsection (1) of section 40 of the said public purpose according sub-section (1) of section 11 of the said Act.

–SCHEDULE –

District	Paragana	Mauza	Plot no.	Area (Hac)
1	2	3	4	5
Pithoragarh	Kanalichhina	Amtri	1345	0.004
			1346	0.005
			1347	0.008
			1355	0.011
			1356	0.015
			1357	0.004
			1358	0.004
			1359	0.013
			1360	0.009
			1361	0.006
			1382	0.013
			1383	0.004
			1384	0.008
			1385	0.003
			1386	0.011
			1387	0.014
			1388	0.006
			1389	0.010
			1390	0.004
			1391	0.009
			1392	0.005
			1393	0.009
			1394	0.006
			1395	0.005
			1402	0.019
			1403	0.015
			1404	0.023
			1405	0.023

1	2	3	4	5
			1406	0.001
			1407	0.023
			1408	0.011
			1409	0.024
			1410	0.006
			1411	0.008
			1412	0.006
			1413	0.008
			1414	0.006
			1415	0.006
			1416	0.005
			1417	0.039
			1418	0.029
			1432	0.035
			1433	0.009
			1434	0.008
			1435	0.014
			1436	0.016
			1437	0.019
			1438	0.018
			1439	0.009
			1440	0.028
			1441	0.020
			1442	0.019
			1443	0.008
			1444	0.013
			1445	0.004
			1446	0.011
			1447	0.010
			1448	0.004
			1449	0.004
			1450	0.011
			1451	0.008
		Total	61	0.707

Note-: Area of the land and other details may be inspected by the interested person in the office of collector, Pithoragarh.

By Order,

ANAND BARDHAN,

Secretary.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

27 जनवरी, 2016 ई0

संख्या 125/X–1–2016–14(09)/2014–श्री भरत सिंह, सहायक वन संरक्षक, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून जिनकी जन्मतिथि 28–06–1956 (अठाईस जून उन्नीस सौ छप्पन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30–06–2016 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

रमेश चन्द्र लोहनी,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/117–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या—यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015—17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 2016 ई० (फाल्गुन 29, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 26, 2016

No. 35/UHC/XIV/24/Admin.A/2008--Sri Udai Pratap Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 14 days *w.e.f.* 06-02-2016 to 19-02-2016.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 27, 2016

No. 36/UHC/XIV/74/Admin.A/2003--Sri Bharat Bhushan Pandey, Registrar (Account & ADR), High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 03 days *w.e.f.* 22-02-2016 to 24-02-2016 with permission to prefix 08-02-2016 to 21-02-2016 (Recess period) for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

(D.P. GAIROLA)

Registrar General.

NOTIFICATION

February 29, 2016

No. 37/UHC/XIV-a/40/Admin.A/2008--Ms. Deepali Sharma, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 09 days *w.e.f.* 06-02-2016 to 14-02-2016.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

(On earned leave handing over)

February 26, 2016

No. 779/Admn.(A)-UHC/2016--Certified that the Office of the Registrar (Accounts),High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand order dated 4th January 2016, as herein denoted in the afternoon of 6th February 2016.

BHARAT BHUSHAN PANDEY,

Relieving Officer, Relieved *Officer.*

Countersigned,

D.P. GAIROLA,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(On earned leave taking over)

February 26, 2016

No. 780/Admn.(A)-UHC/2016--Certified that the Office of the Registrar (Accounts),High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand order dated 4th January 2016, as herein denoted in the forenoon of 25th February 2016.

BHARAT BHUSHAN PANDEY,

Relieved Officer, *Relieving Officer.*

Countersigned,

D.P. GAIROLA,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

कार्यालय सदस्य वाणिज्यकर अधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ

कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र

23 फरवरी, 2016 ई0

पत्रांक–स0वा0क0अधि0 / व्य0प0 / कार्यभार / 31(10) / 2016–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग–8 के कार्यालय आदेश सं0 173 / 2016 / xxvii(8) / (100) 45 / 2005, देहरादून दिनांक 23 फरवरी, 2016 के द्वारा श्री नारायण सिंह पांगती, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर को सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, हल्द्वानी पीठ, वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 10000 / – के रिक्त पद पर पदोन्नत किया गया है।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 23—02—2016 के अपरान्ह में श्री नारायण सिंह पांगती को सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, हल्द्वानी पीठ में वेतनमान ₹ 37400—67000, ग्रेड वेतन ₹ 10000/— के पद पर स्थाई करते हुए निम्न प्रकार कार्यभार ग्रहण किया गया।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय की कैशबुक के अनुसार स्थाई अग्रिम की धनराशि ₹ 2500/— (रु0 दो हजार पाँच सौ मात्र) भी प्राप्त किये गये।

प्रतिहस्ताक्षरित

आर0सी0 खुल्बे,
अध्यक्ष,
वाणिज्यकर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी,

एन0एस0 पांगती,
सदस्य,
वाणिज्यकर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी पीठ।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

29 फरवरी, 2016 ई0

पत्रांक 279/टी0आर0/पंजी0 नि0/UP84—4021/2016—वाहन संख्या UP84—4021 मॉडल 1991 चेसिस संख्या 364052553613 तथा इंजन नं0 692D02535104 कार्यालय में श्री विरेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री गोपाल सिंह बिष्ट, निवासी शान्तिपुरी, नं0 4, पो0 नं0 2, तह0 किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 16—02—2016 को आवेदन—पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करते हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 29—02—2016 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा—55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP84—4021 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 364052553613 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 फरवरी, 2016 ई0

पत्रांक 280/टी0आर0/पंजी0 नि0/UK06CA—3059/2016—वाहन संख्या UK06CA—3059, मॉडल 2011 चेसिस संख्या 11UK06012043 कार्यालय में श्री मलकीत सिंह पुत्र श्री तरसेम सिंह, निवासी म0नं0 35, उकरौली बरूवाबाग, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 27—02—2016 को आवेदन—पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करते हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 29—02—2016 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या Relieved UK06CA–3059 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 11UK06012043 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

16 फरवरी, 2016 ई0

पत्रांक 967 / लाइसेंस निलम्बन / 16–श्री सतीश सिंह पुत्र श्री कृष्ण सिंह, निवासी खेतलसण्डा, मुस्ताजर खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा 10–12–15 को मार्ग चेकिंग के दौरान परिवहन कर अधिकारी प्रथम द्वारा पी0बी0 नं0 320183 में चालान किया गया था जिसमें लाइसेंस संख्या यू0के0–0320130017699 के विरूद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी है, जिसके अनुपालन में पत्रांक 915 / ला0नोटिस / 2016 दिनांक 28–01–2016 को अनुज्ञप्ति धारक को उक्त वर्णित पते पर नोटिस पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया। जिस क्रम में अनुज्ञप्ति धारक द्वारा अपने बचाव पक्ष में अपना स्पष्टीकरण प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जो कि असंतोषजनक है।

अतः, लाइसेन्स अधिकारी के रूप में, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रभारी, टनकपुर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाइसेन्स संख्या यू0के0 0320120017699 जो कि दिनांक 12–11–2033 तक वैध है, लाइसेन्स धारक को प्रथम बार सुधरने का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 06–02–2016 से 05–05–2016 (तीन माह) के लिए निलम्बित करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय जिला पंचायत, पिथौरागढ़

08 मार्च, 2016 ई0

संख्या 68 इक्कीस–7 / 2010–11 जिला पंचायत पिथौरागढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (संशोधित उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–9, सन् 1994 व अधिनियम सं0 29, सन् 1995) की धारा–143 के साथ पठित धारा–239 (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत पिथौरागढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत शराब दुकानों हेतु निविदा / आम बोली / लाटरी पद्धति हेतु सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संस्था / कम्पनी के लिए लाइसेंस की उपविधियाँ सृजित की जाती हैं। जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति / सुझाव हो तो प्रकाशन के तीस दिन के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति / सुझाव अध्यक्ष जिला पंचायत पिथौरागढ़ को भेज सकते हैं, उक्त अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा उक्त उपविधियाँ शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

शर्तें

1. लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से अगले कलेण्डर वर्ष की 31 मार्च तक होगी।
3. लाइसेन्स शुल्क की निर्धारित दर ₹ 5000/— प्रति व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी होगी।
4. जनपद पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के ठेके के लिए जिला पंचायत पिथौरागढ़ से ठेकेदारी लाइसेन्स बनाया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा इसे जिला पंचायत अधिनियम का उल्लंघन माना जायेगा।
5. कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत पिथौरागढ़ उक्त प्रकार आरोपित लाइसेन्स शुल्क लिये गये बगैर शराब ठेके की नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा और न ही लाटरी पद्धति में पर्चा डाल पायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपर वर्णित जिला पंचायत पिथौरागढ़ लाइसेन्स शुल्क की दर निर्धारित करती है जो यात्री इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो ₹ 1000/— तक होगा यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रतिदिन ₹ 50/— होगा यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया जाता है तो कारागार से दण्डित होगा जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी।

जे0पी0 आर्य,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, पिथौरागढ़।

प्रकाश जोशी,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, पिथौरागढ़।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/117—भाग 1—क—2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।